राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप-3)

क्रमांक: एफ.4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अं./2009-19/ जयपुर, दिनांक:

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा),
बाड़मेर।

विषय:- ग्राम पंचायत दूठिया, पंचायत समिति बाड़मेर, जिला बाड़मेर के लेखों एवं कार्यों के माह दिसम्बर, 2009 में किए गए विशेष जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई कराने बाबत।

महोदय,

राज्य सरकार के आदेश एफ.4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अ./2009-10 दिनांक 18.12.2009 के द्वारा ग्राम पंचायत बूठिया, पंचायत समिति बाड़मेर, जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 1.4.2008 से 30.11.2009 तक नरेगा योजना अन्तर्गत किए गए एवं करवाये जा रहे कार्यों एवं लेखों तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु विशेष जांच दल श्री प्रताप सिंह पूनिया, वरिष्ठ लेखाधिकारी, जिला परिषद् जैसलमेर के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस जांच दल ने दिनांक 23.12.2009 से 28.12.2009 तक ग्राम पंचायत के अभिलेख एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त जांच प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं के मद्देनजर आपके स्तर पर निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है:-

1. ग्राम पंचायत द्वारा अपंजीकृत फर्मो से राशि रूपये 123 लाख की निर्माण सामग्री जैसे: कंकरीट, चाप, भूगिया, बजरी, चीण, भारोठ एवं मुर्रम आदि का क्रय किया गया। नियमानुसार निर्माण सामग्री की खरीद रजिस्टर्ड फर्म/विक्रेता (आरएसटी/सीएसटी/टिन होल्डर) से की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 1.4.2008 से 30.11.2009 तक क्रय की गई निर्माण सामग्री के बिलों का विवरण वाणिज्यिक कर विभाग को भिजवाकर वेट(VAT) की नियमानुसार वसूली की कार्रवाई करावें।
2. ग्राम पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारण में अनियमितता की गई है। निर्माण सामग्री के बिलों की जांच में पाया गया की राशि रूपये 12,99,898/- के बिलों पर सामग्री के स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि का उल्लेख नहीं था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किए बिना ही कार्यों के लिए जारी कर दिया गया है। उक्त बिलों की सम्पूर्ण जांच करवाकर यह सुनिश्चित करें की निर्माण सामग्री प्राप्त हुई है एवं सम्बन्धित कार्य के लिए ही जारी की गई है।
3. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम-211 के अनुसार धन केवल चैकों के जरिए आहरित किया जायेगा। अन्य व्यक्तियों को रूपये 1000/- से अधिक राशि का भुगतान चैक के जरिए ही किया जायेगा, जबकि ग्राम पंचायत की रोकड़ बही की जांच के अनुसार दिनांक 1 अप्रेल 2008 से 30 नवम्बर 2009 तक निर्माण सामग्री क्रय का अधिकांश भुगतान (जो लगभग 158 लाख रूपये है) नकद में किया गया है। नियमों का उल्लंघन कर भुगतान करने के लिए सम्बन्धित कार्मिक/लोक सेवक का उत्तरदायित्व निर्धारित कराकर वांछित कार्रवाई करावें एवं यह सुनिश्चित करावें कि भविष्य में समस्त भुगतान Account Payee Cheque से किए जावें।

227

4. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम–211(3)(क) के अनुसार ग्राम पंचायत में आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम के रूप में रूपये 500/– का नकद शेष रखा जा सकता है, जबकि ग्राम पंचायत की रोकड़ बही की जांच के अनुसार दिनांक 1 अप्रेल 2008 से 30 नवम्बर 2009 तक ग्राम पंचायत द्वारा शेष के रूप में लाखों रूपये नकद रखे गये हैं। नियमों का उल्लंघन कर लाखों रूपये का नकद शेष रखने के लिए संबंधित कार्मिक/लोक सेवक का उत्तरदायित्व निर्धारित करावें साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे की समस्त ग्राम पंचायतें नियम विरूद्ध नकद राशि आहरित नहीं करें एवं नकद शेष भी नहीं रखें तथा इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4(28)आर.डी./नरेगा/09–10 दिनांक 11.11.2009 एवं नियम–211(3)(क) की अनुपालना सुनिश्चित करावें।
5. निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखने में आया है कि कुछ टांकों पर चारों ओर पक्का आगोर उचित रूप में नहीं बनवाया गया था। अतः इन टांकों के चारों ओर पक्के आगोर को सुधरवाएँ एवं भविष्य में निर्मित होने वाले सभी टांकों के चारों ओर सही पक्के आगोर बनवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश कमांक एफ.4(16)ग्रा.वि./ग्रा. रो./नरेगा/ 06 दिनांक 17.3.2008, के बिन्दु संख्या 7.3.1, आदेश कमांकः एफ. 4(16)ग्रा.वि./नरेगा/06 दिनांक 14.11.2008, आदेश कमांक एफ.4(5)आर.डी. /नरेगा/2009–10 दिनांक 30.9.2009, के द्वारा नरेगा कार्य स्थलों पर पूर्ण विवरण सहित सूचना पट्ट लगाने के निर्देश जारी किये गये हैं। निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखने में आया है कि अधिकांश कार्यों पर कार्य संबंधी विवरण का सूचना पट्ट नहीं पाया गया। अतः प्रत्येक कार्य पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार सूचना पट्ट लगवाये जावें।
7. ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर (Asset cum cumulative expenditure register) का संधारण नहीं किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्देश क्रमांक एफ.4 (40) आरडी / नरेगा / ट्रें / स्टेट/09–10 दिनांक 23.10.2009 जारी किये गये हैं, इन निर्देशों के अनुसार जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्ति मय संचयी व्यय रजिस्टर (Asset cum cumulative expenditure register) का संधारण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
8. आपके कार्यालय से प्रेषित जांच रिपोर्ट क्रमांक 1364 दिनांक 11.12.2009 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार राशि रूपये 1.07 लाख की वसूली अभी तक नहीं की गई है। अतः इसकी नियमानुसार वसूली की जावे।
9. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.4(42)/ग्रावि/नरेगा/ग्रुप–III/06–07 दिनांक 22.3.2007 की पालना में नरेगा कार्यों का जिले के संबंधित अधिकारियों द्वारा माप दण्डों के अनुसार गहन निरीक्षण समय–समय पर किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत के अभिलेख की जांच के दौरान पाया गया कि जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा न तो कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया और न ही रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर सहित पंचायत के किसी भी अभिलेख का निरीक्षण ही किया गया, जिसके कारण कार्यों के मौके एवं अभिलेख में अनियमितताएं किये जाने से संबंधित कार्मिकों को प्रोत्साहन मिला है। कार्यों के निरीक्षण के अभाव में योजना का इच्छित पूर्ण लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है। निर्धारित मानदण्डानुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा कियान्वित कार्यों एवं अभिलेख का निरीक्षण नहीं करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर नियमानुसार कार्यवाई कराके प्रगति से अवगत करावें।
10. उक्त अनियमितताओं के मद्देनजर जिला एवं पंचायत समिति के स्तर से अधिकारियों द्वारा कार्यों एवं अभिलेख के निरीक्षण को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में पूर्व दिशा-निर्देशों की निरन्तरता में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को पुनः पत्रांक एफ.4(??)आरडी [illegible] निरीक्षण दिनांक [illegible].12.2009 से आदेश जारी

किये हैं, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए यह व्यवस्था की जावे कि जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा, प्रतिमाह 10 तारीख तक पिछले माह में जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों के निरीक्षण अधिकारी वार विवरण प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को अ.शा. पत्र के माध्यम से प्रेषित करें। इस कार्य की सतत् मोनिटरिंग की जानी आवश्यक है।

11. उक्त बिन्दुओं के मद्देनजर योजना के क्रियान्वयन में सुधार किया जाना आवश्यक है। आपके स्तर पर यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले की किसी भी ग्राम पंचायत में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई कराकर एक माह की अवधि में बिन्दुवार प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

भवदीय,

18/1/10

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव
(ई.जी.एस.)

संलग्नः उपरोक्तानुसार

क्रमांकः एफ.4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अं./2009–19/373-82 दिनांकः 18/1/2010

प्रतिलिपि
1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा जिला परिषद, बाड़मेर को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. श्री मुकेश विजय, अधिशाषी अभियन्ता को विभाग की वैबसाइट पर उक्त पत्र एवं जांच प्रतिवेदन डलवाने की कार्रवाई हेतु।

18/1/2010

निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

Page 383

7

ग्राम पंचायत बूठिया पंचायत समिति बाड़मेर जिला बाड़मेर में अवधि 1 अप्रेल, 2008 से 30 नवम्बर, 2009 के मध्य नरेगा के कार्यो एवं व्यय की विशेष जांच का प्रतिवेदन

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 4 (4) ग्रा.वि./नरेगा/सा.अ./2009–10 जयपुर दिनांक 18.12.09 एवं दिनांक 21.12.09 द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत बूठिया, पंचायत समिति बाड़मेर में किये गये एवं करवाये जा रहे कार्यो एवं व्यय की विस्तृत जांच हेतु श्री प्रतापसिंह पूनिया, वरिष्ठ लेखाधिकारी जिला परिषद जैसलमेर, (प्रभारी), श्री सुरेश माथुर अधिशाषी अभियंता ग्रा.वि.विभाग जयपुर (सदस्य) एवं श्री महेश गुप्ता सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, जयपुर (सदस्य) का विशेष जांच दल गठित किया गया। श्री ए.के.शर्मा, अधिशाषी अभियंता नरेगा, श्री कैलाश चौधरी, विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, श्री हनुमानराम सहायक अभियंता नरेगा एवं अन्य सम्बन्धित कर्मचारी दौरे के दौरान साथ थे।

उपरोक्त आदेश के अनुसरण में गठित जांच दल द्वारा इस ग्राम पंचायत की 23.12.09 से 28.12.09 के बीच विशेष जांच सम्पन्न की गई।

ग्राम पंचायत के बारे मे मुख्य जानकारियां निम्नानुसार है :–

1. सामान्य जानकारियां :–

ग्राम पंचायत बूठिया, बाड़मेर जिले की पंचायत समिति बाड़मेर में स्थित है। जिला मुख्यालय से यह ग्राम पंचायत 80 किलोमीटर दूर है। पश्चिम की ओर लगभग 22 किलोमीटर लम्बाई पाकिस्तान सीमा से जुड़ी हुई है। इस ग्राम पंचायत की पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 15 किलोमीटर एवं उतर से दक्षिण की ओर लगभग 35 किलोमीटर है। इस ग्राम पंचायत के वर्तमान में सरपंच श्रीमती कायमां एवं पदेन सचिव श्री जगमालसिंह वर्ष 2001 से लगातार है। इस ग्राम पंचायत में कुल 13 राजस्व ग्राम है। जिनकी राजस्व ग्रामवार आबादी (2001 जनसंख्या) के आधार पर निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	राजस्व ग्राम	आबादी	SC	ST	परिवार	BPL	जॉबकार्ड	
							पंजीकरण	वितरण
1	बूठिया	965	586	0	267	90	267	267
2	अजबानी	667	24	38	160	44	160	160
3	झेलून	439	49	0	109	34	109	109
4	सगरानी	436	0	0	97	38	97	97
5	चांदे का पार	717	13	0	244	100	244	244
6	बिन्दुसियाणी	61	0	0	21	18	21	21
7	पीरे का पार	613	0	0	96	71	96	96
8	अलारख का पार	123	0	0	9	03	9	9
9	हाजी पीराणा की ढाणी	2008 में पीरे का पार से नव सृजित			65	0	65	65
10	जुम्मा फकीर की बस्ती	387	381	0	117	43	117	117
11	पादरिया	720	547	0	238	83	238	238
12	चाडवा तख्ताबाद	641	68	0	167	64	167	167
13	बांगली	475	105	0	121	38	121	121
	योग :–	**6244**	**1773**	**38**	**1711**	**626.**	**1711**	**1711**

नरेगा योजना के अन्तर्गत वर्षवार नियोजित परिवारों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	राजस्व गांव	जाबँकार्ड	वर्ष 2007–08 में		वर्ष 2008–09 में		वर्ष 2009–10 (30 नवम्बर 09 तक)	
			कुल नियोजित परिवार	100 दिवस पूर्ण	कुल नियोजित परिवार	100 दिवस पूर्ण	कुल नियोजित परिवार	100 दिवस पूर्ण
1	बूठिया	267	249	56	263	225	146	4
2	अजबानी	160	141	96	158	104	127	
3	झेलून	109	104	46	108	35	102	
4	सगरानी	97	91	48	96	69	72	
5	चांदे का पार	244	228	131	242	185	204	14
6	बिन्दुसियाणी	21	21	16	21	18	18	
7	पीरे का पार	96	94	80	96	101	56	
8	अलारख का पार	9	9	6	9	7	8	
9	हाजी पीराणा की ढाणी	65	59	51	64	44	42	
10	जुम्मा फकीर की बस्ती	117	112	98	115	75	108	6
11	पादरिया	238	229	134	235	189	204	11
12	चाडवा तख्ताबाद	167	158	102	163	113	141	38
13	बांगली	121	116	82	119	75	104	
	योग :–	**1711**	**1611**	**946**	**1689**	**1240**	**1332**	**73**

इस जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना 2 मई 2007 से प्रारम्भ हुई थी। नरेगा योजना में 9 श्रेणियों में कार्य स्वीकृत करने का प्रावधान है। जिला बाड़मेर में वर्षा कम होने से पानी की भयंकर कमी होने के कारण प्रथम प्राथमिकता से श्रेणी डी के तहत निजी टांकों का निर्माण के कार्य स्वीकृत किये जाते है। दूसरी वरीयता पर श्रेणी एच में सड़क निर्माण कार्य तथा तृतीय वरीयता पर श्रेणी ई में नाडी निर्माण के कार्य स्वीकृत किये जाते है। प्रारम्भ से अब तक बूठिया ग्राम पंचायत में स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यो का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्षवार करवाये गये कार्यो की विस्तृत सूचना

क्र. सं.	वितीय वर्ष	कुल सम्पादित कार्य	आय					व्यय				
			प्रा0 शेष	पं.स. से प्राप्त	ब्याज	वसूली	योग	श्रम	सामग्री	विविध	योग	शेष
1	2007--08	209	0	5660460	2214	0	5662674	2787130	2450390	84200	5321720	
2	2008--09	134	-	28200000	1892	0	28201892	15994255	9257562	82060	25333877	
3	2009--10	33	-	9500000	3044	900000	10403044	5602455	7097221	0	12699676	
	कुल	**376**		**43360460**	**7150**	**900000**	**44267610**	**24383840**	**18805173**	**166260**	**43355273**	**912337**

जिले के सम्बन्ध में अन्य मुख्य सूचनाऐं निम्न प्रकार से है :-

पंचायत समितियां	ग्राम पंचायतें	ग्राम	पंचायत समिति बाड़मेर में सम्मिलित ग्राम पंचायतें	पंचायत समिति बाड़मेर में सम्मिलित ग्राम
8	380	2150	50	319

2. ग्राम पंचायत के बैंक खाते एवं सामग्री क्रय करने की कार्यविधि :–

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2008–09 में नरेगा कार्यो के श्रमिको को 1.4.08 से नकद किया जा रहा था व 28.8.08 से श्रम मद के समस्त भुगतान जी.एस.एस. (ग्राम सहकारी समिति) मापुरी लि0 के माध्यम से किये गये है ,तथा सामग्री मद में अधिकांश भुगतान नकद किया गया है। ग्राम पंचायत बूठिया के नरेगा सम्बन्धित एक खाता पी.एन.बी. गागरिया में है। ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा में 2 मई, 2007 से 30 नवम्बर, 09 तक समस्त सामग्री बीएसआर दरों पर विभिन्न पंजीकृत व अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई है।.

3. निर्माण कार्यो की भौतिक जांच :–

नरेगा योजना में 1.4.08 से 30.11.09 तक ग्राम पंचायत में अब तक 163.00 लाख रूपये व्यय कर पूर्ण करवाये गये। 376 कार्यो में से रेन्डम चयनित कर 43 कार्यो का दिनांक 23.12.09 से 28.12.09 तक भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रत्येक कार्य पर प्राप्त कार्य की पत्रावली में कार्य की तकनीकी स्वीकृति, वितीय स्वीकृति, तकमीना, ड्राईंग, बिल वाउचर्स, मस्टररोल, पूर्णता प्रमाण पत्र आदि समस्त दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये।

वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये व्यक्तिगत लाभ 38 कार्यो की कार्यस्थल पर भौतिक स्थिति का निरीक्षण किया गया जिसमें व्यक्तिगत लाभ के बनाये गये टांको की गुणवता संतोषजनक पाई गई एवं मरूप्रदेश में इस प्रकार के प्राकृतिक जलसंधारण के लिए बनाये गये टांको की लाभार्थी के लिए विशेष उपयोगिता भी महसूस की गई। इसके अलावा 5 कार्य सड़क व खरंजा निर्माण के निरीक्षण किये गये। जिनकी गुणवता मौके पर संतोषजनक पाई गई। इस प्रकार कुल 43 कार्यो का निरीक्षण किया गया। जिसमें से 19 कार्यो का मूल्याकंन किया गया एवं 24 कार्यो का भौतिक सत्यापन किया गया, मूल्याकन किये गये 19 कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

I. टांका निर्माण :–

जिले में वर्षा का औसत बहुत कम है। वर्षा के अभाव में भू जल का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। क्षेत्र में पीने के पानी का अभाव रहता है, जिस कारण लोगों को दूर दूर से पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। टांको के निर्माण के कारण वर्षा जल को संग्रहित किया जाना संभव हो सका है। एकत्रित पानी को लाभान्वितों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। पानी के महत्व को देखते हुए सभी लाभान्वित टांको पर ताला लगाते है। टांका निर्माण ग्रामीण समुदाय के लिए वरदान सिद्व हुआ है, जैसा कि निरीक्षण के दौरान लाभार्थियों द्वारा बताया गया है।

इन टांको में विजिबल भागों का माप किया गया परन्तु अदृश्य भाग में पानी भरा होने के कारण उनके माप के अभाव में उनका मूल्याकंन किया जाना संभव नहीं हो सका। मौके पर टांको की स्थिति सही हालत मे पाई गई। उनमें पानी की उपलब्धता इस बात का प्रतीक है कि कार्यो की गुणवत्ता संतोषप्रद है।

1. व्यक्तिगत टांका निर्माण अलादान/मूसा राजस्व गांव चांदे का पार ग्रा.पं. बूठिया

टांके का मौके पर निरीक्षण किया गया। टांका सही स्थिति में पाया गया, जिसमें पानी भरा हुआ था टांके का माप निम्नानुसार पाया गया :–

बाहरी व्यास 12 फुट

गहराई 13 फुट 2 इंच

जमीन से उपर उंचाई 1 फुट 9 इंच

टांके के चारों ओर पक्का आगौर 4 फुट

टांके पर विवरण अंकित नहीं था। टांके में मौके पर पानी भरा पाया गया।

2. व्यक्तिगत टांका निर्माण कमाल/सुमार राजस्व गांव चांदे का पार ग्रा.पं. बूठिया

टांके का मौके पर निरीक्षण किया गया टांका सही स्थिति में पाया गया जिसमें पानी भरा हुआ था। टांके पर पूर्ण विवरण अंकित था टांके की माप निम्नानुसार है :–

बाहरी व्यास 12 फुट

गहराई 11 फुट

जमीन से उपर उंचाई 1 फुट 9 इंच

3. व्यक्तिगत टांका निर्माण रमदान/इस्माईल राजस्व गांव चांदे का पार ग्रा.पं. बूठिया

टांके का मौके पर निरीक्षण किया गया। टांके पर विवरण अंकित नहीं पाया गया। टांके में निरीक्षण के समय पानी भरा था टांके का माप निम्नानुसार है :–

बाहरी व्यास 12 फुट 6 इंच

गहराई 12 फुट 6 इंच

जमीन से उपर उंचाई 1 फुट 9 इंच

टांके के चारो और पक्का आगौर 5 फुट

विकास अधिकारी पंचायत समिति बाड़मेर को निर्देशित किया गया कि टांके पर लाभार्थी के नाम व अन्य विवरण अंकित करावें।

4. व्यक्तिगत टांका निर्माण निहाली/कायम राजस्व गांव चांदे का पार ग्रा.पं. बूठिया

टांके का मौके पर निरीक्षण किया गया। टांके पर अंकित विवरण मिटा हुआ पाया गया, पुनः लिखवाने हेतु निर्देश दिये गये। टांके का माप निम्नानुसार है :–

बाहरी व्यास 11 फुट 6 इंच

गहराई 11 फुट 6 इंच

जमीन से उपर उंचाई 1 फुट 9 इंच

टांके पर पक्का आगौर नहीं पाया गया।

5. व्यक्तिगत टांका निर्माण हसन/बहादूर राजस्व गांव चांदे का पार ग्रा.पं. बूठिया

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि टांके पर कार्य से सम्बन्धित कोई भी विवरण अंकित नहीं किया गया है टांके में पानी भरा हुआ था परन्तु पक्का आगौर नहीं बना हुआ था, टांके का माप निम्नानुसार है।

बाहरी व्यास 11 फुट 6 इंच

गहराई 11 फुट 9 इंच

जमीन से उपर उंचाई 2 फुट

पक्का आगौर बनाने के निर्देश दिये गये।

6. व्यक्तिगत टांका निर्माण हासम/मिठू राजस्व ग्राम चांदे का पार ग्रा.पं. बूठिया

टांके का मोके पर निरीक्षण किया गया। टांका सही स्थिति में पाया गया, जिसमें पानी भरा हुआ था टांके का माप निम्नानुसार पाया गया :–

बाहरी व्यास 12 फुट 2 इंच

गहराई 14 फुट 9 इंच

जमीन से उपर उंचाई 1 फुट 9 इंच

टांके पर पूर्ण विवरण यथा स्वीकृति वर्ष (2007–08) लाभार्थी का नाम, योजना का नाम, स्वीकृत राशि आदि लिखी हुई थी मौके पर मौजूद श्री मिठू ने बताया कि मजदूरी का पूर्ण भुगतान प्राप्त हो चुका है। श्री मिठू को टांके के चारों और पक्का आगौर बनाने के निर्देश दिये गये क्योकि उन्होने ने पूर्व में बने आगौर को क्षतिग्रस्त कर दिया था।

7. व्यक्तिगत टांका निर्माण मुबारक/हाकम राजस्व गांव चांदे का पार ग्रा.पं. बूठिया

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि टांके पर कार्य से सम्बन्धित विवरण अंकित नहीं है टांके में पानी भरा हुआ था। परन्तु पक्का आगौर नहीं था पक्का आगौर बनाने के निर्देश प्रदान किये गये। टांके का माप निम्नानुसार है

बाहरी व्यास 12 फुट 4 इंच

गहराई 11 फुट 9 इंच

जमीन से उपर उंचाई 2 फुट

8. व्यक्तिगत टांका निर्माण रसूल/आदम

टांका निर्माण के कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि टांके के ढक्कन पर ताला लगा हुआ था। पानी भरा हुआ था टांके पर कार्य सम्बन्धी कोई विवरण अंकित नहीं था। विवरण अंकित कराने हेतु निर्देश दिये गये।

टांके का माप निम्न प्रकार है :–

बाहरी व्यास 12.70 फीट

गहराई 11.75 फीट

जमीन से उपर उंचाई 2 फीट

टांके के चारो और पक्का आगौर नहीं पाया गया जिसे बनाने के निर्देश दिये गये।

9. व्यक्तिगत टांका निर्माण बुरान/फजल

टांका निर्माण के कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि टांके पर विवरण अंकित नहीं है। विवरण अंकित कराने हेतु निर्देश दिये गये। टांके का माप निम्न प्रकार से है :-

बाहरी व्यास 11 फुट 9 इंच
गहराई 11 फुट 6 इंच
जमीन से उंचाई 1 फुट 9 इंच
पक्का आगौर 6 फुट

लाभार्थी ने बताया कि टांका बनाने से उसे पीने का पानी मिला तथा मजदूरी भी मिल गई है। लाभार्थी टांके के निर्माण से पहले 2 किमी से पीने के लिए पानी लाया करता था।

10. व्यक्तिगत टांका निर्माण फता/जाकब

टांके का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान टांके पर विवरण अंकित नहीं था विवरण लिखाने के निर्देश दिये गये टांके में अन्य टांको की अपेक्षा पानी कम भरा पाया गया। टांके का माप निम्न प्रकार से है :-

बाहरी व्यास 12 फुट 3 इंच

गहराई 12 फुट 6 इंच

जमीन से उंचाई 2 फुट

टांके के चारो और पक्का आगौर नहीं पाया जिसे बनाने के निर्देश दिये गये।

11. व्यक्तिगत टांका निर्माण चिनेसर/मांगीणा

टांके के निरीक्षण के दौरान टांके पर विवरण अंकित नहीं पाया गया। टांके के ढक्कन पर ताला लगा था। टांके का माप निम्न प्रकार से है :-

बाहरी व्यास 11 फुट

गहराई 11 फुट

उंचाई 2 फुट

श्री चिनेसर ने बताया कि 21000 रूपये का भुगतान मजदूरी का मिल चुका है, परन्तु तीन मस्टररोल का भुगतान बकाया है। मस्टररोल में अंकित श्रमिकों के नाम का चिनेसर द्वारा प्रमाणीकरण किया गया। ढक्कन उपर करके देखने पर पानी भरा पाया गया।

12. व्यक्तिगत टांका निर्माण हबीब/अरबाब

टांके के निरीक्षण के दौरान टांके पर विवरण नहीं पाया गया। विवरण अंकित करने के निर्देश दिये गये।

टांके का माप निम्न प्रकार से है :-

बाहरी व्यास 11 फुट 9 इंच

गहराई 12 फुट

जमीन से उपर उंचाई 2 फुट

टांके का पक्का आगौर बनाने के निर्देश दिये गये। टांके में पानी भरा पाया गया।

13. व्यक्तिगत टांका निर्माण सरूपा/रतन

टांके के निरीक्षण के दौरान लाभार्थी ने बताया कि मजदूरी के 41000 रूपये मिल गये है तथा 18000 रूपये का मजदूरी भुगतान शेष है। टांके पर पूर्ण विवरण अंकित पाया गया, पानी भी भरा हुआ था। टांके का माप निम्नानुसार है :-

बाहरी व्यास 12 फुट

गहराई 11 फुट 3 इंच

जमीन से उंचाई 2 फुट

टांके के चारो और पक्का आगौर नहीं था, पक्का आगौर बनाने के निर्देश दिये गये।

14. व्यक्तिगत टांका निर्माण जाकब/जुम्मा

टांके का माप निम्नानुसार है

बाहरी व्यास 12 फुट

गहराई 11 फुट

जमीन से उंचाई 2 फुट

टांके में पानी नहीं पाया गया। टांके के सम्बन्धित कोई भी विवरण अंकित नहीं था, विवरण अंकित कराने के निर्देश दिये गये।

16

15. व्यक्तिगत टांका निर्माण इसाक/सरीफ

टांके का निरीक्षण दौरान पाया गया कि टांके पर कोई विवरण अंकित नहीं था तथा इसे अंकित कराने के निर्देश दिये गये। टांके का माप निम्नानुसार है :–

बाहरी व्यास 9 फुट 9 इंच

गहराई 11 फुट

जमीन से उपर उंचाई 2 फुट

टांके में पानी भरा पाया गया। पक्का आगौर बनाने के निर्देश दिये गये।

II. ग्रेवल सड़क व खरंजा निर्माण के कार्य

1. ग्रेवल सड़क निर्माण चांदे का पार से पीरे का पार

चांदे का पार से पीरे का पार तक 1.5 किमी लम्बी ग्रेवल सडक का कार्य वर्ष 2007–08 में स्वीकृत किया गया था जिसे वर्ष 2007–08 में ही पूर्ण किया गया। सड़क का विवरण निम्नानुसार है :–

लम्बाई 1500 मीटर

चौड़ाई 4.35 मीटर (औसत)

Compacted thickness of Gravel 0.195 मीटर

सड़क अच्छी स्थिति में पाई गई, जिसके निर्माण में ग्रामवासियों को आवागमन की सुविधा हुई। सडक का मूल्याकंन के अनुसार सामग्री मद में राशि रूपये 253897 का व्यय उपरोक्त माप के अनुसार होना पाया गया जबकि एमबी के अनुसार रूपये 254476 का भुगतान किया गया है रूपये 579 का अधिक भुगतान किया जाना पाया गया। जिसकी वसूली अपेक्षित है।

2. ग्रेवल सडक डामर रोड से हाकमपाड़ा

डामर रोड से हाकम पाडा निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों ने बताया कि सडक निर्माण से उन्हें आने जाने में सुविधा हुई तथा ट्रेक्टर व ऊंटगाडी के लिए आवागमन आसान हो गया है। इतिया/हाजा ने बताया कि उसके चार लड़कों व दो बहुंओं को सडक निर्माण पर कार्य करने की मजदूरी पूरी मिल गई है।

सडक का माप निम्न प्रकार से है :–

लम्बाई 670 मीटर

चौड़ाई 3.87 मीटर

Compacted thickness 0.18 मीटर

एमबी के अनुसार सामग्री मद में लागत 80927 रूपये हुई जबकि निरीक्षण के दौरान मूल्याकंन करने पर सामग्री मद में लागत 85000 रूपये हुई।

3. खरंजा निर्माण मेगवाल पाड़ा

मेगवाल पाड़ा में 384.50 मीटर लम्बा खरंजा निर्माण कराया गया। कार्य संतोषजनक पाया गया। कार्य के मूल्याकंन के पश्चात पाया। सामग्री मद में 7.23 लाख रूपये लागत है जबकि एमबी के अनुसार 381.60 मीटर कार्य दर्शाया गया, जिस पर सामग्री मद की लागत 6.68 लाख रूपये दर्शायी गई।

कार्य स्थल पर निरीक्षण के दौरान उपस्थित ग्रामीण निम्बाराम, शोभाराम एवं खुमानाराम ने बताया कि उन्हे मजदूरी का पूर्ण भुगतान मिल गया है तथा मेगवाल पाडा में सहज आवागमन खंरजा निर्माण से बढी है। मौका अनुसार खरंजा का माप निम्नानुसार है :–

लम्बाई 384.50 मीटर

औसत चौड़ाई 3.83 मीटर

4. खरंजा निर्माण/ग्रेवल सड़क :–

गांवो/ढाणियें से मुख्य सड़क तक उपयुक्त मार्ग के अभाव में ग्रामीण समुदाय को काफी परेशानी होती थी। कार्यक्रम के अन्तर्गत इन गतिविधियों के कार्य लिये जाने का प्रावधान होने के कारण कुछ जगह पर इनका निर्माण करवाया गया।

निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों ने बतलाया कि इनके निर्माण से ट्रेक्टर, ट्रक, मिनी ट्रक, ऊंटगाड़ी आदि तथा आम समुदाय को आवागमन में सुविधा हुई है।

5. खरंजा निर्माण डामर रोड से हिन्दालाणी पाड़ा तक 500 मीटर

डामर सडक से हिन्दालाणी पाडा तक 500 मीटर लम्बी खरंजा वर्ष 2008–09 में स्वीकृत किया गया, जिसकी लागत 9.42 लाख रूपये है। कार्य हेतु सामग्री मद की राशि 7.89 लाख रूपये थी।

खंरजा निर्माण का मौके पर निरीक्षण किया गया तथा इसे अच्छी स्थिति में पाया। खंरजे निर्माण का विवरण निम्नानुसार है :–

लम्बाई 500 मीटर

औसत चौड़ाई 3.77 मीटर

पूर्ण किये गये कार्य का मुल्याकंन किया गया जिसके अनुसार सामग्री मद में 9.27 लाख होना पाया गया । कार्य पूर्ण होने पश्चात एमबी के अनुसार 7.841 लाख भुगतान होना पाया गया। उल्लेखनीय है कि बजरी सिणधरी से मंगवाई गई जो कार्य स्थल से 150 किमी दूर है। तथा चाप बाडमेर से मंगवाई गई जो कार्य स्थल से 85 किमी दूर है। अतः परिवहन पर लगभग 1.5 लाख व्यय किया गया है।

16

निम्न कार्यो का भौतिक सत्यापन किया गया, जो मौके पर सही अवस्था में पाए गए :–

1. व्यक्तिगत टांका निर्माण गफूर/मोहबत पीरे का पार
2. व्यक्तिगत टांका निर्माण हमीर/इस्लाम पीरे का पार
3. व्यक्तिगत टांका निर्माण अरबाब/तैयब चांदे का पार
4. व्यक्तिगत टांका निर्माण ईशाक/मीरहसन पीरे का पार
5. व्यक्तिगत टांका निर्माण जबा/जमील पीरे का पार
6. व्यक्तिगत टांका निर्माण प्रताबा/दुर्गा पादरिया
7. व्यक्तिगत टांका निर्माण रतना/अनोपा जुमा फकीर की बस्ती
8. व्यक्तिगत टांका निर्माण हाकम/मेहरण बांगली
9. व्यक्तिगत टांका निर्माण अलाना/हैजम पीरे का पार
10. व्यक्तिगत टांका निर्माण मूसा/हारूण पीरे का पार
11. व्यक्तिगत टांका निर्माण शेरू/सतार पीरे का पार।
12. व्यक्तिगत टांका निर्माण द्वारका/किरपाल बांगली
13. व्यक्तिगत टांका निर्माण जरीन्द/बाईखान बांगली
14. व्यक्तिगत टांका देसला/चतु बागली
15. व्यक्तिगत टांका निर्माण बहादूर/लुकमान बांगली
16. व्यक्तिगत टांका निर्माण हाकम/मीरण बांगली
17. व्यक्तिगत टांका निर्माण रमदान/मुरीद बांगली
18. व्यक्तिगत टांका निर्माण हाजी/जुमा बांगली
19. व्यक्तिगत टांका निर्माण खानू/चुतरा बांगली
20. व्यक्तिगत टांका निर्माण मीरखान/जुम्मा बांगली
21. व्यक्तिगत टांका निर्माण ईशाक /ईस्माईल बांगली
22. व्यक्तिगत टांका निर्माण अली/विलाल बांगली
23. व्यक्तिगत टांका निर्माण शकूर /निरमा बांगली
24. व्यक्तिगत टांका निर्माण मखणा/भीखा बांगली

4. शिकायत/अनियमितता सम्बन्धी आवेदन :–

जांच दल ने ग्राम पंचायत बूठिया के भ्रमण के दौरान विभिन्न राजस्व गांवों में ग्रामीणों से योजना के बारे में, योजना के अन्तर्गत सम्पन्न हुए कार्यो की गुणवता के बारे में चर्चा की तथा श्रम भुगतान के बारे में पूछताछ की एवं बयान लिए। कुछ लोगों ने बातचीत में रूचि नहीं दिखाई जबकि कुछ लोगों ने आगे आकर कार्यो को संतोषजनक एवं लाभाकारी बताया तथा श्रम भुगतान समय पर होना बताया। वार्ता के दौरान ग्रामीणों द्वारा भुगतान सबंधी कोई कठिनाई अथवा अन्य किसी प्रकार की अनियिमतताओं के बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। कुछ ग्रामीणों द्वारा दिये गये बयान परिशिष्ठ 1 पर संलग्न है।

5. निर्माण कार्यो सम्बन्धी फर्मो के बिलों की स्थिति :–

ग्राम पंचायत बूठिया के रिकार्ड एवं निर्माण कार्यो सम्बन्धी उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा 1 अप्रेल 08 से 30 नवम्बर 09 तक 14 फर्मो से सामान क्रय किया गया। इन फर्मो में से मैसर्स भरत ट्रेडर्स गागरिया बस स्टेण्ड के पास गागरिया तहसील रामसर जिला बाड़मेर के पास टीन नं. उपलब्ध है एवं प्रिन्टेड बिल है परन्तु बिल नंम्बर हाथ से लिखे गये है। इसके अतिरिक्त 13 फर्मो के कोई भी प्रिन्टेड बिल उपलब्ध नहीं है एवं न ही उनके टीन नं. है। फर्मो के बारे में वास्तविक स्थिति पता करने पर मालूम हुआ कि केवल भरत ट्रेडर्स गागरिया ही अस्तित्व में है एवं यह सीमेन्ट विक्रय करती है और दूसरी अन्य फर्मो के बारे में पता करने पर मालूम हुआ कि यह सभी फर्मे रजिस्ट्रर्ड नहीं है एवं व्यक्तिगत हैसियत वाली है एवं व्यक्तिगत तौर पर ही सामग्री सप्लाई करती है। इनके द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री का सत्यापन कार्यो के भौतिक सत्यापन से होता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत बूठिया द्वारा टिन नं0 वाली फर्म मैसर्स भरत ट्रेडर्स से 1 अप्रेल 08 से 30 नवम्बर 09 तक 4048790 रूपये का सीमेन्ट का क्रय किया गया है। जबकि शेष अपंजीकृत 13 फर्मो से राशि रू. 10451239 का सामान (कंकरीट, चाप, मूंगिया, बजरी, चीण, भारोट एवं मुर्रम आदि) का क्रय किया गया है। इन समस्त फर्मो के बिलों में वेट का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन्होनें राजकोष में वेट एवं अन्य कर (जैसे रॉयल्टी आदि) जमा नहीं करवाया है।

6. ग्राम पंचायत बूठिया द्वारा बिना निविदा के निर्माण सामग्री का क्रय :–

ग्राम पंचायत बूठिया के रिकार्ड की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2007–08 से 30 नवम्बर, 09 तक निर्माण सामग्री के क्रय हेतु किसी भी प्रकार की निविदा आमंत्रित नहीं की और बिना निविदा के बीएसआर दरों पर ही राशि रू. 188.00 लाख की विभिन्न निर्माण सामग्री (सीमेन्ट, कंकरीट, चाप, मूंगिया, बजरी, चीण, भारोठ एवं मुरम आदि) का क्रय किया गया है।

7. दिनांक 23.12.09 को रोकड़बही के अनुसार रोकड़ शेष रूपये 357 था जिसका भौतिक सत्यापन किया गया एवं रोकड़बही के बैंक कॉलम के अनुसार बैंक में शेष 911980 दिनांक 04.12.09 को था जिसे बैंक खाते की पासबुक से सत्यापित किया गया।

8. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय का भुगतान नकद में किया जाना :–

ग्राम पंचायत बूठिया की रोकडबही की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री क्रय का भुगतान नकद में ही किया जा रहा है। 01 अप्रेल, 2008 से 30 नवम्बर, 2009 तक केवल 6 भुगतान राशि रू. 591600/– अकाण्टपेई चैक से किये गये है। जिसकी सूची परिशिष्ठि 2 पर संलग्न है एवं 18 भुगतान राशि रू. 1964900/– बियरर चैक से किये गये है। जिसकी सूची परिशिष्ठ 3 पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त सभी भुगतान राशि रू. 13798283/–नकद में किये गये है।

9. ग्राम पंचायत बूठिया द्वारा आवश्यकता नहीं होने पर भी बैंक से नकद आहरण किया जाना एवं बडी मात्रा नकद राशि का शेष रखना :–

ग्राम पंचायत बूठिया की रोकड़बही की जांच में पाया गया कि आवश्यकता नहीं होने के बावजूद भी बैंक से लाखों रूपये की राशि का आहरण कर नकद में शेष रखा जाता है। इस तरह के आहरणों की सूची परिशिष्ठ 4 पर संलग्न है। संलग्न सूची से स्पष्ट है कि पर्याप्त राशि अवशेष होने के बावजूद भी बैंक से लाखों रूपये का आहरण किया गया है एवं नकद में अवशेष रखा गया है, जबकि आहरण के काफी दिनों बाद भी आहरित राशि को व्यय नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि भुगतान के लिए आवश्यकता नहीं होने के बावजूद भी बैंक से नकद आहरण कर बिना किसी औचित्य के लाखों रूपये नकद शेष रखा गया है।

10. ग्राम पंचायत बूठिया में स्थाई स्टॉक रजिस्टर (परिसम्पत्ति रजिस्टर) का संधारण नहीं किया गया है। निर्माण सामग्री सम्बन्धी स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया जा रहा है।

11. ग्राम पंचायत बूठिया द्वारा क्रय की गई सामग्री राशि रू. 1299898/--के बिलों पर स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज का अभाव पाया गया। इसकी विस्तृत सूची परिशिष्ठि 5 पर संलग्न है।

12. निर्माण कार्यो में वसूली :–

इस विशेष जांच से पहले ही 9.00 लाख रूपये जो मूल्याकंन से अधिक भुगतान किये गये थे उन्हें वसूल करके ग्राम पंचायत के नरेगा खाते में जमा करवाये जा चुके। विशेष जांच के दौरान निरीक्षण किये गये कार्यो के मूल्याकंन में कोई भी ऐसा प्रकरण सामने नहीं आया जिसमें राशि की वसूली की जानी हो।

13. निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां :–

i- निरीक्षण के दौरान अधिकांश कार्यो पर सूचनापट् का अभाव पाया गया।

ii- कार्य पूर्णता की स्थिति के फोटोग्राफ्स सभी कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ पाये गये लेकिन कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र में ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार कार्य प्रारम्भ से पूर्व की स्थिति के फोटो का अधिकांशतयाः अभाव पाया गया।

iii. कुछ टांको पर कच्चा एवं पक्का आगौर सही तरीके से नहीं बनाया गया जिससे वर्षा का पानी सही तरीके से संग्रहण नहीं हो रहा है।

14. सुझाव :–

वर्तमान में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखासहायक, ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्राम सेवकों का समय–समय पर सघन एवं विस्तृत प्रशिक्षण आयोजित किया जावें ताकि योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा सकें एवं प्रक्रियात्मक त्रृटियों से बचा जा सके एवं योजना का सम्पूर्ण लाभ गरीबों को एवं श्रमिकों को मिल सकें।

उपसंहार :–

ग्राम पंचायत बूठिया के 43 कार्यो का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण किया गया। जिनकों अच्छी अवस्था में पाया गया। ग्राम पंचायत के विभिन्न ग्रामों में ग्रामवासियों से बातचीत की गई। बातचीत के दौरान ग्रामवासियों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई एवं किये गये कार्यो को उपयोगी एवं संतोषजनक बताया। यह भी बताया गया कि उनकें द्वारा की गई मजदूरी का पूर्ण भुगतान उन्हें मिल चुका है।

इसके विपरीत प्रक्रियागत अनियमितताऐं दृष्टिगत हुई है जैसे सामग्री का क्रय बिना निविदा आंमत्रित किये, किया गया है तथा जिन आपूर्तिदाताओं से सामग्री प्राप्त की गई है वे अधिकांश अपंजीकृत है इनके द्वारा प्रस्तुत बिल कच्चे है एवं वेट आदि का भुगतान इनके द्वारा सरकार को नहीं किया गया है।

(महेश गुप्ता)	(सुरेश माथुर)	(प्रतापसिंह पूनिया)
सहायक लेखाधिकारी,	अधिशाषी अभियंता,	वरिष्ठ लेखाधिकारी
निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण, जयपुर (सदस्य)	ग्रा.वि.विभाग जयपुर (सदस्य)	जिला परिषद जैसलमेर (प्रभारी)